BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम

(एनएसडब्ल्यूएस)

भारत में व्यवसाय संबंधी स्वीकृतियों का कायाकल्प

सितंबर 22, 2026

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) *एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो निवेशकों को उनके व्यवसाय के लिए जरूरी स्वीकृतियों की पहचान करने में सहयोग करता है। यह उन्हें उनकी विशिष्ट व्यावसायिक जरूरतों के आधार पर इन स्वीकृतियों के लिए आवेदन करने में भी सक्षम बनाता है। डीपीआईटी की ओर से कार्यान्वित यह प्लेटफॉर्म, निवेशकों को एक ही इंटरफेस के माध्यम से स्वीकृतियों की पहचान करने, आवेदन करने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में 'आपकी स्वीकृतियां' मॉड्यूल, सामान्य पंजीकरण फॉर्म, आवेदक डैशबोर्ड, दस्तावेज भंडार और ई-संचार मॉड्यूल शामिल हैं। एक बार जमा करने, ऑनलाइन प्रसंस्करण और त्वरित समय पर ट्रैकिंग को सक्षम कर, एनएसडब्ल्यूएस दोहराव, अनुपालन बोझ और मंजूरी मिलने में समय को कम करता है, जबकि पारदर्शिता और समन्वय में सुधार करता है। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और नियामक प्राधिकरणों के बढ़ते एकीकरण के साथ, एनएसडब्ल्यूएस भारत में* ***ईज ऑफ डूइंग बिजनेस*** *को सुदृढ़ कर रहा है और एक अधिक सुगम निवेश इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दे रहा है।*

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम : एक अवलोकन

निवेश और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक कुशल नियामक तंत्र आवश्यक है। सरकार ने एक पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल नियामक तंत्र बनाने के लिए कई डिजिटल शासन सुधार किए हैं। **नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस)** ऐसा ही एक सुधार है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्य करता है, जो निवेशकों को उनके व्यवसायों के लिए आवश्यक स्वीकृतियों की पहचान करने और उनके लिए आवेदन करने में मार्गदर्शन करता है।

22 सितंबर 2021 को शुरू किया गया एनएसडब्ल्यूएस, **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है। इस वर्ष, यह अपनी सफलता के 5 वर्ष पूरे कर रहा है। यह केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और नियामक प्राधिकरणों की ओर से दी जाने वाली स्वीकृतियों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में योगदान

एनएसडब्ल्यूएस सूचना और दस्तावेजों को एक बार जमा करने की सुविधा देकर **स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल** बनाता है। इससे **अनुपालन और स्वीकृति मिलने में लगने वाला समय कम होता** है। यह प्लेटफॉर्म त्वरित समय में आवेदन ट्रैकिंग और नियामक अधिकारियों के साथ ऑनलाइन संचार के माध्यम से पारदर्शिता भी बढ़ाता है। इन सुविधाओं से स्वीकृति की प्रक्रिया अधिक पूर्वानुमानित और कुशल बनती है।

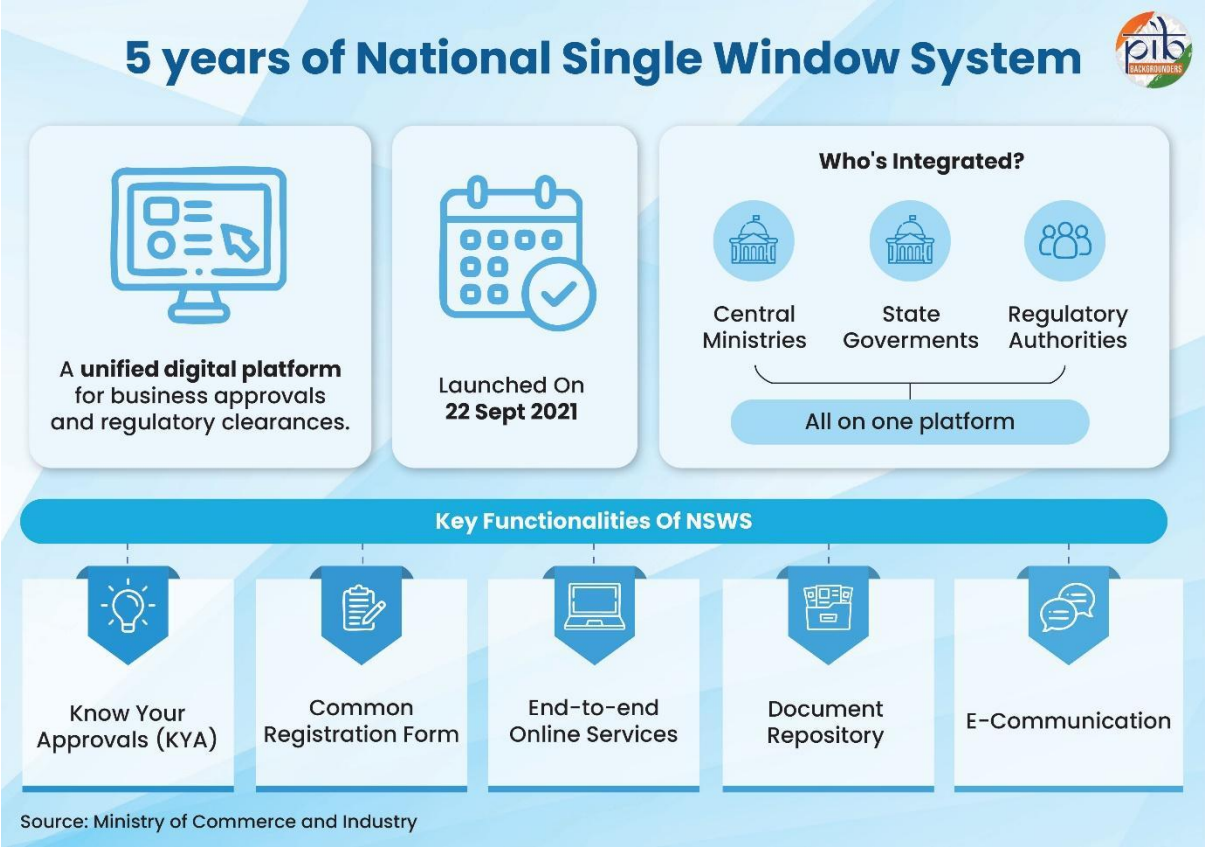

एनएसडब्ल्यूएस कई विभागों में सूचनाओं के दोहराव को कम करता है और एक एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाता है। ये सभी सुधार मिलकर **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** को मजबूत करते हैं, निवेश को आसान बनाते हैं और **सरकार के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन** के दृष्टिकोण का सहयोग करते हैं।

एनएसडब्ल्यूएस की प्रमुख कार्यक्षमताएं

एनएसडब्ल्यूएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं और शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। एनएसडब्ल्यूएस की एक प्रमुख विशेषता **अपनी स्वीकृतियां जानें (केवाईए) मॉड्यूल** है, जो प्रस्तावित गतिविधियों के आधार पर किसी कारोबार के लिए लागू स्वीकृतियों की पहचान करने का एक उपकरण है। पोर्टल पर **32 केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और 34 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों** से प्राप्त स्वीकृतियों के आवेदनों को एकत्रित किया जाता है। इससे निवेशकों को व्यवसाय के लिए नियामक के लिए आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। केवाईए के माध्यम से प्रदान किया गया मार्गदर्शन परामर्शात्मक प्रकृति का है और इसे कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए।

अनुपालन को सरल बनाने के लिए, एनएसडब्ल्यूएस एक **सामान्य पंजीकरण फॉर्म** प्रदान करता है, जो एक ही इंटरफेस के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करता है और कई अनुप्रयोगों में जानकारी के दोबारा इस्तेमाल को सक्षम बनाता है। यह प्लेटफॉर्म एक समर्पित **राज्य पंजीकरण फॉर्म** के माध्यम से राज्य एकल खिड़की प्रणालियों तक निर्बाध पहुंच भी प्रदान करता है, जिससे राज्य-स्तरीय अनुमोदन तंत्रों के साथ एकीकरण सुनिश्चित होता है।

इस प्लेटफॉर्म में आवेदन जमा करने, उनकी स्थिति की निगरानी करने और विभागीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक **आवेदक डैशबोर्ड** शामिल है। पोर्टल निवेशकों को **लागू स्वीकृतियों का आसानी से नवीनीकरण** करने और **आवेदन की स्थिति को त्वरित समय पर ट्रैक करने** की सुविधा भी देता है। एक **केंद्रीकृत दस्तावेज भंडार** एक बार अपलोड करने और कई स्वीकृतियों में दस्तावेजों का दोबारा इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रस्तुतियां दोहराने की समस्या कम हो जाती है। **ई-संवाद मॉड्यूल** आवेदकों और संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच प्रश्नों और स्पष्टीकरणों के ऑनलाइन आदान-प्रदान को सुगम बनाता है।

एनएसडब्ल्यूएस के अंतर्गत अनुमोदन प्रक्रिया

निवेशक सबसे पहले ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से एनएसडब्ल्यूएस पर पंजीकरण करते हैं। निवेशक अपनी स्वीकृतियां जानें (केवाईए) मॉड्यूल के माध्यम से लागू अनुमोदनों की पहचान कर सकते हैं या अनुमोदनों की सूची से आवश्यक अनुमोदन खोज सकते हैं। सत्यापन के बाद, वे विभिन्न केंद्रीय और राज्य अनुमोदनों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवेदन जमा होने के बाद, एनएसडब्ल्यूएस इसे संबंधित मंत्रालय, विभाग या राज्य सरकार को उनके संबंधित बैकएंड सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज देता है। **एनएसडब्ल्यूएस पर पंजीकरण निःशुल्क है, लेकिन आवेदकों को पोर्टल के माध्यम से संबंधित प्राधिकरण की ओर से तय वैधानिक शुल्क** का भुगतान करना आवश्यक है।

आवेदक एप्लीकेंट डैशबोर्ड के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति पर नजर कर सकते हैं। वे ई-कम्युनिकेशन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर विभागीय प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और केंद्रीकृत दस्तावेज भंडार से सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं।

डिजिटल एकीकरण का विस्तार

एनएसडब्ल्यूएस ने **स्थायी खाता संख्या (पीएएन)** को **एकल व्यवसाय पहचान पत्र** के तौर पर लागू किया है, जिसमें **डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) और डिजिलॉकर** (एकल स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए) के माध्यम से अधिकृत प्रतिनिधियों का उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण शामिल है।

विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफ पोर्टल) को भी एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जिससे सरकारी मंजूरी की जरूरत वाले एफडीआई आवेदनों के लिए एक **सिंगल विंडो सिस्टम** उपलब्ध हो गया है। **औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम)** और **औद्योगिक लाइसेंस (आईएल)** की प्रक्रियाएं क्रमशः **अक्टूबर 2025** और **मार्च 2026** से **एनएसडब्ल्यूएस** में पूरी तरह से स्थानांतरित कर दी गई हैं और अब पूरी तरह से डिजिटल हो गई हैं। डिजिटलीकृत प्रक्रियाएं संबंधित सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकरण के माध्यम से सूचनाओं के स्वतः भरने की सुविधा प्रदान करती हैं, मानवीय तरीके से अनुमोदन की जरूरत को खत्म करती हैं और उद्योगों को तुरंत स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे दक्षता में सुधार होता है और प्रसंस्करण समय कम होता है।

इसके साथ ही, **ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा (ई-बी-4 वीजा)** के अंतर्गत विदेशी पेशेवरों को आमंत्रित करने के लिए **प्रायोजन पत्र** तैयार करने में भारतीय कंपनियों की सुविधा के लिए **नवंबर 2025** में एनएसडब्ल्यूएस पर **प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन** मॉड्यूल लॉन्च किया गया था। यह मॉड्यूल पंजीकरण और प्रायोजन संबंधी दस्तावेज जारी करने के लिए एक सुव्यवस्थित डिजिटल तंत्र प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, **पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)** ने सभी **74 लाइसेंसिंग मॉड्यूल** को एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत कर लिया है, जिससे यह पूर्ण ट्रांजैक्शन-स्तर पर एकीकरण प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है।

कवरेज और प्रदर्शन

लॉन्च होने के बाद से, एनएसडब्ल्यूएस ने अपनी पहुंच और सेवा वितरण में उल्लेखनीय विस्तार किया है। **21 सितंबर 2026** तक, इस प्लेटफॉर्म को प्रतिवर्ष औसतन **3.06 लाख से अधिक** आवेदन प्राप्त होते हैं

और यह **सालाना 2.26 लाख से अधिक स्वीकृतियों** की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इस प्लेटफॉर्म पर एकल स्वामित्व वाली कंपनियों, कंपनियों, एलएलपी और विदेशी संस्थाओं सहित **5.69 लाख से अधिक व्यावसायिक संस्थाएं** भी जुड़ चुकी हैं।

वर्तमान में एनएसडब्ल्यूएस **34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** में **327 से अधिक केंद्रीय स्वीकृतियों** और **3452 राज्य स्वीकृतियों** तक पहुंच प्रदान करता है। यह कंपनी निगमन, औद्योगिक लाइसेंस, स्टार्टअप मान्यता, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मंजूरी और संविदा श्रम अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण जैसे प्रमुख नियामक अनुमोदनों को सुगम बनाता है। **असम (335), कर्नाटक (327), तमिलनाडु (223) और मणिपुर (190)** एकीकृत अनुमोदनों की सबसे अधिक संख्या प्रदान करते हैं।

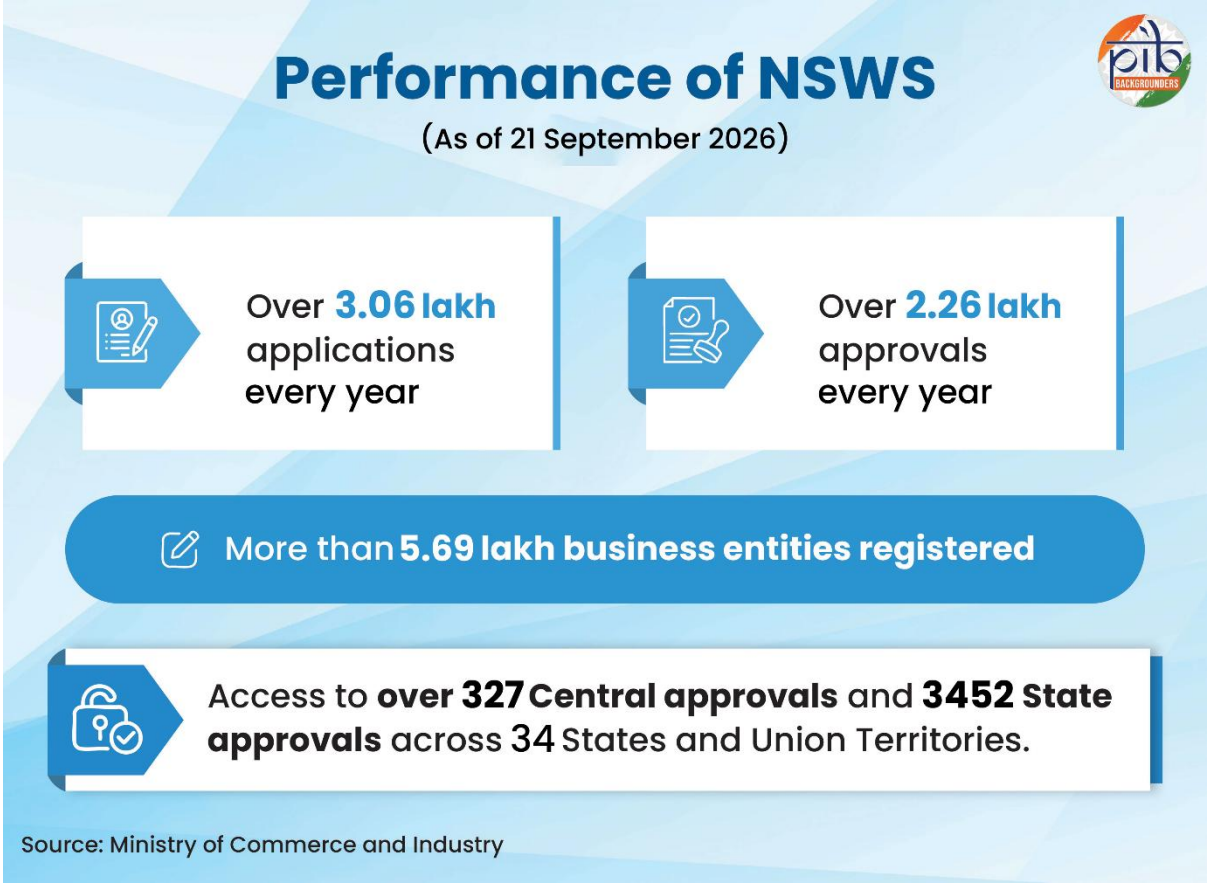

यह प्लेटफॉर्म **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, एथेनॉल नीति, वाहन स्क्रैपिंग नीति** और **भारतीय फुटवियर एवं चमड़ा विकास कार्यक्रम** सहित प्रमुख पहलों के तहत अनुमोदन के लिए एक सामान्य प्रवेश द्वार के तौर पर भी कार्य करता है।

एक सुगम व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र की ओर

एनएसडब्ल्यूएस एक पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित नियामक इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालयों, राज्यों और नियामक प्राधिकरणों का निरंतर एकीकरण इसकी प्रभावशीलता को और मजबूत करेगा। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा। जैसे-जैसे यह प्लेटफॉर्म विकसित होगा, एनएसडब्ल्यूएस में भारत में एक एकीकृत व्यावसायिक नियामक ढांचे का आधार बनने की क्षमता है।

संदर्भ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

https://www.dpiit.gov.in/static/uploads/2026/03/863a5fef349d79a1bba316c4b51eaacb.pdf

https://www.nsws.gov.in/

https://www.dpiit.gov.in/static/uploads/2026/03/863a5fef349d79a1bba316c4b51eaacb.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1880251&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1756966&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1796506&lang=2&reg=3

पीआईबी अभिलेखागार

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?id=150871&NoteId=150871&ModuleId=16&reg=6&lang=1

पीआईबी शोध

***

पीके/केसी/आरटी/एमएम